2024:CGHC:40098
AFR

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक– 350 /2005

बोधीराम पिता समेलाल आयु लगभग 35 वर्ष ग्राम रहंगी, तहसील कवर्धा , जिला राजनांदगांव (वर्तमान जिला कबीरधाम)

...अपीलार्थी/वादी

विरुद्ध

1. चंद्रिका बाई बेवा स्व. सुखीराम आयु लगभग 35 वर्ष
2. मिथिला बाई बेवा स्व.सुखीराम आयु लगभग 19 वर्ष
3. ललिता बाई पिता स्व. सुखीराम आयु लगभग 15 वर्ष
4. सौन बाई पिता स्व.सुखी राम आयु लगभग 13 वर्ष
5. मीना बाई पिता स्व.सुखी राम आयु लगभग 11 वर्ष
6. गोलू पिता स्व.सुखी राम आयु लगभग 10 वर्ष
   प्रतिवादी कं. 3 से 6 व्दारा श्रीमती चंद्रिका बाई विधवा पति स्व. सुखी राम आयु लगभग 35 वर्ष
7. भुलाउ पिता स्व.जीवनराखन आयु लगभग 45 वर्ष
   न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 14/03/2019
8. सुकबाई पिता भुलाउ उम्र लगभग 45 वर्ष
9. शकुंतला पिता भुलाउ आयु लगभग 35 वर्ष
10. रिखवा पिता भुलाउ आयु लगभग 33 वर्ष
11. तीरथ पिता भुलाउ सतनामी, आयु लगभग 32 वर्ष
    साकिन– झलका, जिला–कवर्धा
12. मंगल पिता भुलाउ आयु लगभग 30 वर्ष
13. द्वारिका पिता भुलाउ आयु लगभग 28 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. श्यामरतन पिता भुलाउ आयु लगभग 25 वर्ष
प्रतिवादी क्रं. 11 से 14 निवासी ग्राम रहंगी तहसील व जिला कवर्धा

15. छ.ग. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला कवर्धा कबीरधाम

.......उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण

अपीलार्थी/वादी द्वारा		श्री बी.पी. शर्मा अधिवक्ता सहित श्री एम.एल. शुक्ला एवं श्रीमती समीक्षा गुप्ता अधिवक्तागण
प्रतिवादी क्रं. 1 से 6 व्दारा		श्री धर्मेश श्रीवास्वत अधिवक्ता
प्रतिवादी क्रं. 15 राज्य द्वारा		श्री पंकज शुक्ला , पेनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति/ न्यायाधीश श्री राकेश चौहान पाण्डेय

//आदेश //

14/10/2024

01– यह अपील दिनांक 22/12/2005 को स्वीक्त करते हुए मुख्य रुप से निम्न वाद बिन्दु/वाद प्रश्न निर्मित किये गये थे–

> ''क्या निम्न विद्ववान न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के परिप्रेक्ष्य में दुखी राम को समयलाल के वैध पुत्र निर्धारित किया जाना न्याय संगत है, जबकि विशेष कर यह स्थापित रहा है कि दुखी राम की मां, दुखीराम को जन्म देते समय विवाहित नहीं रही थी ।''

02– इसके पश्चात दिनांक 30/09/2024 को यह अतिरिक्त वाद बिन्दु/वाद प्रश्न निर्मित किये गये–

''क्या व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रतिवादीगणों द्वारा विद्ववान न्यायालय के समक्ष की गयी प्रथम अपील संधार्य है विशेष कर तब जबकि उनके विरुद्ध कोई निर्णय एवं डिक्री प्रदान नहीं की गयी है ।''

03– अपीलार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त स्थल/संपत्ति जो कि अनुसूची ए से इ में दर्शित है पर स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इस आधार पर वाद लाया गया कि वह समयलाल का एक मात्र वैध उत्तराधिकारी है । वादग्रस्त स्थल/संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 10.14 एकड रहा है । आगे यह अभिवचन रहा है कि स्व. दुखीराम उसके पिता स्व. समयलाल के मत्यु के 300 दिनों के बाद पैदा हुआ था इसलिए वह वैध रुप से स्व.समयलाल का जैविक पुत्र नहीं है तथा उसका वादग्रस्त स्थल/संपत्ति पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है ।

04– प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में यह दलील दी गयी कि समयलाल के मृत्यु होते समय स्व.दुखी बाई अर्थात दुलारी बाई गर्भवती थी तथा दुखीराम उसके गर्भ में था ।

05– विचारण न्यायालय में यह वाद बिन्दु/वाद प्रश्न निर्मित कर निर्धारित किया कि वादी वादग्रस्त स्थल/संपत्ति पर एक मात्र स्वत्वधिकारी नहीं है । प्रतिवादी क्रमांक 01 स्व. दुखीराम स्व.समयलाल का जैविक पुत्र नहीं है और प्रस्तुत वाद समय सीमा के बार (अवधि बाहय) है । अन्य वाद प्रश्न प्रमाणित नहीं पाये गये एवं इसीलिए वाद खारिज किया गया ।

06– स्व.दुखीराम के वैध उत्तराधिकारी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के प्रावधान के अंतर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय (एफ.टी.सी.) कबीरधाम के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया जो कि अपील नंबर 14ए/2004 में पंजीक्त किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07– प्रतिवादीगणों ने यह आधार प्रस्तुत किया गया कि समयलाल कि मृत्यु दिनांक 27.03.1956 को हुई थी और उस समय स्व.दुखीराम, दुलारीबाई के गर्भ में था इसलिए स्व.समयलाल उसका जैविक पिता था ।

08– अपील के ज्ञापन में यह तथ्य भी उठाये गये कि साक्षीगण अर्थात राधाबाई (प्रतिवादी साक्षी क्रं.02) , गुलाबा बाई (प्रतिवादी साक्षी क्रं.04) एवं दुलारी बाई (प्रतिवादी साक्षी क्रं.05) ने यह स्वीकार किया था कि स्व. समयलाल की मत्यु के समय दुखीराम, दुलारी बाई के गर्भ में था, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि स्व.दुखीराम, स्व. समयलाल का जैविक पुत्र है और इसीलिए वह वादग्रस्त संपत्ति का अधिकारी है ।

09– वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी.शर्मा द्वारा उपस्थित होकर यह अपील प्रस्तुत किया गया कि समयलाल की मृत्यु दिनांक 27.03.1956 को हुई थी जबकि स्व. दुखीराम की जन्मतिथि 19.01.1957 है।आगे प्रस्तुत किया गया कि स्व.दुखीराम , स्व.समयलाल के मृत्यु के 293 दिनों के पश्चात पैदा हुआ था और वैध रुप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार वह स्व.समयलाल का जैविक पुत्र नहीं हो सकता । यह भी अभिकथित किया गया कि प्रतिवादीगण इस तथ्य को प्रमाणित करने में विफल रहें है कि स्व .दुखीराम स्व.समयलाल की मत्यु की तारीख से 280 दिनों के भीतर पैदा हुआ था, और इसीलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादप्रश्न को निर्धारित करने में विधिक त्रुटि की है ।

10– श्री शर्मा का यह तर्क रहा है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था । आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगणों द्वारा कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया गया था इस तथ्य के प्रकाश में प्रतिवादीगणों द्वारा विधिवत व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय में यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि उनके विरुद्ध कोई निर्णय व डिक्री पारित किया गया था और इसीलिए प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील संधार्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं था और इसीलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अवैध है । अपने समर्थन में वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हरविंदर सिंग विरुद्ध परमजीत सिंग व अन्य (2013) 9 एस.सी.सी. 261 एवं बनारसी व अन्य विरुद्ध रामपहल, (2003) 9 एस.सी.सी. 606 पर भरोसा किया ।

11– दूसरी ओर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित होकर विरोध प्रस्तुत किया कि मूल प्रतिवादी क्रमांक 1 दुखीराम अपने अस्तित्व में था इसीलिए अपील संधार्य योग्य था । आगे यह प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय में यह निर्धारित किया था कि स्व . दुखीराम, स्व. समयलाल का जैविक पुत्र नहीं है ओर इसीलिए विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगणों के परिप्रेक्ष्य में दिया गया निष्कर्ष परस्पर विरोधाभाषी है इसलिए प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील संधार्य योग्य था । आगे यह भी प्रस्तुत किया कि बच्चे के जन्म में 10 से 15 दिनों के जन्म का अंतराल हो सकता है तथा बच्चे के धर्मजत्व को निर्धारित करने के लिए 280 दिनों के अवधि का कोई स्टेट जैकेट फार्मुला नहीं है तथा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12– राज्य की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल शुक्ला द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया गया ।

13– मेरे द्वारा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तओं को सुना गया तथा अभिलेख में रखे गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

14– यह न्यायालय पश्चातवर्ती प्रक्रम पर दिनांक 30.09.2024 को निर्मित वाद बिन्दुओं को आगे निर्धारित किया जाता है ।

15– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में निम्न अनुतोष चाहे गये थे–

''अ. यह उदघोषित किया जाए कि वादग्रस्त जमीन में स्व. समेलाल के हिस्से एवं स्वामित्व की जमीन का एक मात्र वादी है, प्रतिवादी क्रमांक 1 अ से 1 इ और 2 का कोई स्वामित्व हिस्सा नहीं है ।

ब. वादी के पक्ष में स्थायी व्यादेश प्रदान करके वादग्रस्त जमीन में स्व. समेलाल के हिस्से स्वामित्व की जमीन में से प्रतिवादी क्रमांक 1 अ से 1इ और 2 को बंटवारा कराकर कब्जा करने से वंचित किया जाए।

स. वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 अ से 1इ और 2 से वाद व्यय दिलाया जाए।

द. अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे–''

16– वादी बोधी राम ने दस्तावेजों को प्रदर्शित किया तथा साक्षियों का परीक्षण कराया । प्रतिवादीगण द्वारा भी लिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करते हुए अपने साक्षियों का परीक्षण कराया गया । विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कई वादप्रश्न/वाद बिन्दु निर्मित करते हुए आखिरकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया । मूल प्रतिवादी क्रमांक 01 अर्थात स्व. दुखीराम के लिए अभिलेख में यह निर्धारित किया गया था वह स्व. समयलाल का जैविक पुत्र नहीं था । इस प्रकार अन्य वाद प्रश्न वादी के विरुद्ध निर्धारित किये गये । विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्व. दुखीराम के वैध प्रतिनिधियों की ओर से प्रस्तुत अपील मान्य/स्वीकार किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील मूल डिक्री या प्रत्येक डिक्री जो अपील में बनाये गये है, के विरुद्ध किया जा सकता है । जो व्यक्ति उक्त डिक्री से व्यथित हआ है अन्यथा जब तक की कोई ऐसा व्यक्ति उक्त डिक्री से व्यथित या प्रभावित ना हुआ हो अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता या उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । यह भी सुस्थापित है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की दोनों धाराएं धारा 96 एवं 100 के तहत अपील डिक्री के विरुद्ध की जा सकती है ना कि निर्णय के विरुद्ध ।

18– बनारसी (सुप्रा) के प्रकरण के तथ्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पैरा 8 में यह अभिनिर्धारित है कि:–

> ''**8.** व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 एवं 100 अपील का प्रावधान करती है कि प्रत्येक मूल डिक्री या प्रत्येक डिक्री जो अपील में पारित की गयी है, से अपील दायर किया जा सकता है । हर किसी व्यक्ति द्वारा अपील दायर नहीं किया जा सकता, हालाकि यह निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा तय किया गया है कि एक अपील दायर करने का हकदार वही व्यक्ति होना चाहिए जो उस आदेश व्यथित हो, जब तक कि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से या डिक्री से प्रतिकूल रुप से प्रभावित न हुआ हो, वह अपील फाईल करने का हकदार नहीं हो सकता। (देखें Phoolchand v. Gopal Lal reported in Air 1967 SC 1470) Jatan Kumar Golcha v. Golcha Properties (P) Ltd.(1970) 3 SCC 573; and Ganga Bai v. Vijay Kumar (1974) 2 SCC 393).इस प्रकाश में किसी के खिलाफ कोई अपील नहीं है यह ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 एवं 100 किसी डिक्री खिलाफ होती है ना किसी निर्णय के विरुद्ध ।''

19– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरविंदर सिंग (सुप्रा) के मामले में व्यवहार प्रक्रिया संहिताा की धारा 96 एवं 100 के परिप्रेक्ष्य में पैरा 17 एवं 22 से 25 में यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है:–

> ''**17.** वर्तमान में यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 96 एवं 100 प्रत्येक मूल अपील या अपील में पारित डिक्री से अपील करने को प्रावधानित करता है, पूर्वोक्त प्रावधान श्रेणियों की गणना नहीं करता है जो लोग अपील दायर कर सकते हैं, इस बात को बल देने की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जो निर्णय या डिक्री से प्रभावित है वह अपील कर सकता है इस संदर्भ में श्रीमती जाटन कंवर गोलचा बनाम एम/एस गोलचा प्रापर्टीज प्राईवट लिमिटेड (1970) 3 एव. सी.सी. 573 ध्यान देने योग्य है ।''

''यह अच्छी तरह सुस्थापित है कि एक व्यक्ति जो कि वाद में पक्षकार नहीं है वह अपील फाईल कर सकता है यदि वह उक्त आदेश से प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ हो ।''

''**22.** इस प्रकार उपयोगी रुप से मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बनारसी व अन्य (सुप्रा) में यह कहा गया है:-

''व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 एवं 100 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक मूल डिक्री सेया प्रत्येक डिक्री जो अपील में पारित की गई हो, अपील की जा सकती है, कोई भी प्रावधान उस व्यक्ति को सूचीबद्ध नहीं करता है जो अपील दायर कर सकता है, हालाकि यह लम्बे समय से तय है कि अपील दायर करने वाले व्यक्ति को डिक्री से प्रभावित होना चाहिए, जब तक कि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से या प्रतिकूल रुप से डिक्री से प्रभावित ना हुआ हो, उसे अपील दायर करने का हकादार नहीं है ।'' देखें फूलचंद विरुद्ध गोपाललाल (7) जतन कुमार गोलचा विरुद्ध गोलचा प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड (सुप्रा) और गंगा बाई विरुद्ध विजय कुमार (सुप्रा) कोई अपील केवल एक के विरुद्ध असत्य नहीं है यह ध्यान रखे जाने योग्य है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की दोनों धाराएं 96 एवं 100 डिक्री के विरुद्ध अपील फाईल करने का प्रावधान करती है ना कि निर्णय के विरुद्ध ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''23. हालाकि उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यद्यपि इसने तथ्य को सही रुप से लागू नहीं किया है, इस न्यायालय ने स्पष्ट रुप से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो डिक्री से निर्णायक रुप से या प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ हो वह अपील कर सकता है वर्तमान मामले में जैसा कि हम पाते है वादी सहशेयर होने का दावा करते हुए वाद दायर किया, और वसीयत को चुनौती दी, प्रतिवादी क्रमांक 5 वादी के भाई ने, उसका समर्थन किया तथा अपील में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के पक्ष में दिये फैसले एवं डिक्री को पलट दिया गया। वादी ने अपील में विरोध करने वाले प्रतिवादियों के साथ समझौते हुए प्रवेश किया, इस तरह हम सोचते हुए देने को तैयार है जो प्रतिवादी क्रमांक 5 को पूर्वाग्रह रुप से प्रभावित करता है और इसीलिए वह अपील को पसंद कर सकता था । यह ध्यान देने योग्य है कि विचारण न्यायालय ने सम्पत्ति की प्रक्ति एवं चरित्र से संबंधित वाद में डिक्री प्रदान किया था, ऐसी डिक्री से उसे फायदा हुआ था, वही अस्थिर होने के बाद उसके पक्ष में विलुप्त हो गया यह कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि ऐसे पलटे हुए डिक्री से उसे विधिक रुप से चोट पहुंची हो, और उसके विधिक अधिकार प्रभावित हुए थे ।''

''**24.** इस संदर्भ में हम वर्तमान में घोषित आदेश का उल्लेख करते है जो कि अयुर खान नुरखान पठान विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य [(2013) 4 SCC465] जिसमें यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि– एक कानूनी अधिकार का मतलब है कि कानूनी नियम से उत्पन्न होने वाली पात्रता, इस प्रकार इसे एक लाभ के रुप में या ऐसे व्यक्ति जिसे कानून के नियम के तहत लाभ दिया गया है परिभाषित किया जा सकता है । ''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''व्यथित व्यक्ति से यह अभिप्राय नहीं है जो एक मनोवैज्ञानिक रुप से या काल्पनिक रुप से पीडित हो, पीडित व्यक्ति से अभिप्राय है कि जिसके हक व अधिकार प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुए हों या उसे जोखिम हुआ हो (शांति कुमार आर चंजी विरुद्ध होम इंश्योरेंस कंपनी आफ न्यायार्क ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1719 और राजस्थान राज्य व अन्य विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य ए. आई . आर. 1977 एस. सी. 1361)''

''**25.** यद्यपि उपरोक्त निर्णय एक अलग संदर्भ में दिया गया था फिर भी यह उपधारणा विधिक क्षति के रुप में तथात्यक मैट्रिक्स संबंध प्राप्त के लिए लागू होते हैं, इस प्रकार निसंदेह वर्तमान अपीलकर्ता एक व्यथित व्यक्ति था, और इसीलिए यह अपील जहाज पर से पानी को फेंके जाने की तरह फेंका नहीं जा सकता कि अपील बनाये रखे जाने योग्य नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20– वर्तमान मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया था और मूल प्रतिवादी या प्रतिवादीगणों के विरुद्ध कोई डिक्री नहीं दी गयी थी इसीलिए मूल प्रतिवादी या प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील संधार्य योग्य नहीं था ।

21– उपर उद्धत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की राय में प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील संधार्य योग्य नहीं था इस प्रकार दिनांक 30–09–2024 को निर्मित वाद बिन्दु/ वाद प्रश्न वादी के पक्ष में और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के विरुद्ध निर्धारित किया जाता है ।

22– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 इस प्रकार है:–

''112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है–– यह तथ्य है कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए,

या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए दो सौ अस्सी दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था ।

23– स्व.समयलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 10 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, उसकी मृत्यु दिनांक 27–03–1956 को हुई जबकि दुखीराम की जन्मतिथि 13–01–1957 स्वीक्त दस्तावेज प्रदर्श डी–01 के अनुसार है । स्व. दुखीराम का जन्म समयलाल के मृत्यु के 292 दिनों के पश्चात हआ था और इसीलिए यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि वह स्व. समयलाल का जैविक पुत्र था और इसीलिए प्रतिवादीगण इस तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहे । मौखिक साक्ष्य पेश कर विधिक अनुमान का खण्डन नहीं किया जा सकता इसीलिए प्रतिवादीगणों द्वारा साबित किये जाने वाले तथ्यों से वे भारमुक्त नहीं किये जा सकते, इसीलिए दिनांक 22–12–2005 को निर्मित वाद बिन्दु प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्धारित किये जाते हैं । वादी को वादग्रस्त संपत्ति का एक मात्र स्वामी घोषित किया जाता है ।

24– निष्कर्षतः अपील स्वीकार की जाती है । लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है ।

25– तदानुसार डिक्री तैयार की जावे ।

श्री राकेश मोहन पाण्डेय
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(यशवंत वासनीकर)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय
(पाक्सो एवं बलात्कार मामलें)
गरियाबंद (छ.ग.)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur